कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर।

दिनांकः– 26/2/21

क्रमांकः–जी.डी.1 / नीलामी / अनुपयोगी सामग्री / 2020–21 / D-280

नीलामी सूचना

कार्यालय की कैंटीन में उपलब्ध अनुपयोगी /नकारा सामग्री (यथा चौकोर थाली, स्टील के गिलास, इडली सांचा, कडछी, मिक्सी ग्राईन्डीर, स्टील की कटोरियां, स्टील के जग, लोहे के पाईप, टू सिंक यूनिट, सिंक, स्टील की कुर्सिया, लोहे की तवा भट्टी, गैस चूल्हा आदि) की यथास्थिति आधार पर खुली बोली प्रकिया द्वारा दिनांक **15.03.2021** को **दोपहर 3.00 बजे** नीलामी की जाएगी। जो भी फर्म/व्यक्ति उपरोक्त सामग्री क्रय करने में रुचि रखते हो, उन्हे उपरोक्त नीलामी में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाता हैं, सामान का निरीक्षण दिनांक **10.03.2021** से कार्यालय समय में किसी भी दिन किया जा सकता हैं, भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के सदस्य एवं उनके परिजन इस नीलामी में भाग लेने के पात्र नही हैं।

वरि.लेखाधिकारी / जी.डी

नीलामी की शर्ते

1. यह है, कि सूचना में वर्णित सामान जैसा है, जहां है, के आधार पर खुली बोली प्रक्रिया द्वारा नीलामी किया जावेगा।
2. बोली दाताओं को बोली लगाने से पूर्व धरोहर राशि रूपये 400/– का बैंकर्स चैक Pay & Accounts Officer (I.A. & A.D.) Rajasthan, Jaipur के नाम देय हो, नीलामी स्थल पर जमा कराना होगा, जो कि असफल बोली दाताओं को नीलामी पश्चात लौटा दिया जावेगा।
3. बोली समाप्ति पर अधिकतम बोली लगाने वाले को स्वीकृत बोली की 25 प्रतिशत राशि नकद मौके पर जमा करानी होगी।
4. स्वीकृति बोली की शेष राशि तीन दिन के अन्दर इस विभाग में जमा करा कर माल अपने खर्चे पर उठाना अनिवार्य होगा, माल नहीं उठाने पर रूपये 500/– प्रतिदिन का हर्जाना देय होगा तथा अधिकतम 10 दिन के बाद बोली निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. बोली दाताओं में सर्वोच्च बोली पर ही बिक्री की जावेगी परन्तु यदि नीलामी समिति के विचार में पर्याप्त मूल्य नहीं आया तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च बोली को भी रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. नीलामी समिति को किसी भी बोली को स्वीकृति अथवा रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।
7. सामान जो नीलामी किया जावेगा उसे सम्पूर्ण एक लॉट अथवा अधिक टुकडों लॉट में नीलामी करने का नीलामी समिति को पूर्ण अधिकार होगा।
8. सभी कर एवमं प्रभार खरीददार को वहन करने होगें। नीलामी मे भाग लेने वाले निविदादाता के पास नियमानुसार जी.एस.टी./पैन/आदि नम्बर देने होंगे अन्यथा लागू नहीं होने का आशय पत्र देंगे।
9. नीलामी के संबंध में किसी प्रकार का विभागीय विवाद होता है तो वह जयपुर न्यायालय तक ही सीमित होगा।

वरि.लेखाधिकारी/जी.डी.